(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

प्र0 क0 आर– 4343–तीन/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 17–10–13 पारित राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 1648–दो/2011.

1– रामखेलावन अग्निहोत्री
2– वामनाचार्य अग्निहोत्री
पुत्रगण स्व. रामकुमार अग्निहोत्री,
निवासी ग्राम हिरौल, तह0 हुजूर,
जिला रीवा, म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूध्द

1– चन्द्रिकाप्रसाद अग्निहोत्री
2– अंगदप्रसाद अग्निहोत्री
दोनों पुत्रगण रामकुमार अग्निहोत्री
3– सुरेश कुमार तनय चन्द्रशेखर प्रसाद अग्निहोत्री
समस्त निवासी ग्राम हिरौल, तह0 हुजूर,
जिला रीवा, म0प्र0

—— अनावेदकगण

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी, अभिभाषक – आवेदकगण
श्रीमती अंजनी सोनी, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 21.4 2014 को पारित)

यह पुनर्विलोकन का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रकरण कमांक निगरानी 1648–दो/2011 में पारित आदेश दिनांक 17–10–13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है। लिपिकीय त्रुटि से यह प्रकरण पुनर्विलोकन के स्थान

पर निगरानी के रूप में पंजीबध्द किया गया है जिसका निराकरण पुनर्विलोकन के रूप में किया जा रहा है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक क0–1 चन्द्रिकाप्रसाद एवं अनावेदक क0–2 अंगदप्रसाद व्दारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–6–07 के विरूध्द अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 22–7–10 व्दारा तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाने तथा आदेश की जानकारी नहीं होने से अपील समयावधि में होना मान्य किया। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी निगरानियॉ कलेक्टर, अपर आयुक्त एवं राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक कमशः 16–8–11, 2–9–11 तथा 17–10–13 व्दारा खारिज की गयी। अतः आवेदकगण व्दारा यह पुनर्विलोकन आवेदनपत्र राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया है।

3/ मैंने उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। बहस के समय आवेदकगण का अभिभाषक का यह तर्क था कि प्रश्नाधीन भूमि का नामान्तरण उजियरिया के स्थान पर आवेदकगण का प्रमाणित किया गया है जिसमें अनावेदक क0–1 एवं 2 को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं थी। प्रश्नाधीन भूमि रामकुमार के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित नहीं थी, इस कारण अनावेदक क0–1 एवं 2 रामकुमार के वारिस होने से प्रकरण में आवश्यक पक्षकार मानकर विलम्ब को माफ करने की त्रुटि की गयी है। यह त्रुटि अभिलेख से स्पष्ट है। अतः उन्होंने पुनर्विलोकन स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदगण के अभिभाषक का यह तर्क है कि अपर जिला न्यायाधीश रीवा ने निर्णय दिनांक 06.08.79 व्दारा प्रश्नाधीन भूमि रामकुमार के स्वत्व की

होना निर्धारित किया गया है और इसी निर्णय के आधार पर तहसीलदार व्दारा रिकार्ड सुधार कर आवेदकगण का नाम प्रश्नाधीन पर दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अनावेदक क0–1 एवं 2 राजकुमार के पुत्रगण होकर विधिक वारिस हैं, इसलिये उन्हें बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित करने तथा आदेश की संसूचना नहीं होने से अपील समयावधि में मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः उन्होंने पुनर्विलोकन खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण रामखेलावन एवं बामनाचार्य व्दारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण ने प्रश्नाधीन भूमि पर मान. अपर जिला न्यायाधीश, रीवा के प्रकरण कमांक 3ए/79 निर्णय दिनांक 06–08–1979 के आधार पर इतिलाबी व नामान्तरण करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है। तहसील न्यायालय में प्रस्तुत की गयी अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 6–8–79 की प्रति से स्पष्ट है कि प्रथम अपर जिला न्यायाधीश व्दारा मुस0 उजियरिया एवं सुरेशकुमार व्दारा प्रस्तुत व्यवहार अपील क0 3ए/79 में निर्णय दिनांक 6–8–79 व्दारा अपील खारिज की गयी और प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, रीवा के प्रकरण कमांक 83ए/75 में पारित निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि की गयी। व्यवहार न्यायाधीश ने प्रतिवादी रामकुमार के हित में निष्पादित विकयपत्र दिनांक 29–10–74 को अवैध एवं प्रभावहीन (निरस्त) घोषित करने का दावा सव्यय निरस्त किया गया। इससे स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय व्दारा प्रश्नाधीन भूमि का रामकुमार को विकयपत्र के आधार पर स्वात्वाधिकारी होना मान्य किया और इसी निर्णय के आधार पर आवेदकगण व्दारा इतिलाबी एवं नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। राजकुमार के आवेदकगण एवं अनावेदक क0–1 एवं 2 पुत्रगण होने से सभी पुत्रों को प्रश्नाधीन भूमि पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त करने की पात्रता है। ऐसी दशा में अनावेदकों को प्रश्नाधीन भूमि का हितग्राही

पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाने एवं उन्हें आदेश की संसूचना नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी व्दारा विलम्ब को माफ कर अपील ग्राह्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है जिसे सभी निगरानी न्यायालयों एवं राजस्व मण्डल व्दारा यथावत रखा गया है। ऐसी दशा में आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदनपत्र में हस्तक्षेप का समुचित आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनर्विलोकन आवेदनपत्र खारिज किया जाता है। परिणाम स्वरूप राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 17–10–2013 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0